



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

कार्यालय आयकर आयुक्त(छूट),
आयकर भवन, 5, आशोक मार्ग, लखनऊ।

ट्रस्ट/संस्थान का नाम : उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष
पता : महिला सशक्तिकरण भवन, यू.डी.-1/3055, उद्यान-1, रवि खण्ड-1
एलडिको, बंगला बाजार, लखनऊ-226002
पैन : AAAGU0077L
आदेश तिथि : 24.08.2015

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G (5)(vi) के अन्तर्गत अनुमोदन

आयकर अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत उपरोक्त ट्रस्ट का पंजीकरण दिनांक 06.07.2015 की प्रभावी तिथि से पंजीकरण संख्या (यू0आर0एन0) 84/2015-16 के अन्तर्गत दिनांक 06.07.2015 को विद्वान आयकर आयुक्त, (छूट), लखनऊ के आदेश द्वारा किया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष, महिला सशक्तिकरण भवन, यू.डी.-1/3055, उद्यान-1, रवि खण्ड-1 एलडिको, बंगला बाजार, लखनऊ उ0प्र0 को दिया गया दान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G (5)(vi) में दिये गये शर्तों को पूरा करने पर आयकर अधिनियम 1961 की 80G (V) के अन्तर्गत कटौती के लिए योग्य होगा।

2. यह अनुमोदन दिनांक 24.08.2015 की प्रभावी तिथि से लगातार उस अवधि तक वैध माना जाएगा जब तक विशेष रूप से इसे वापस न ले लिया जाए।

(i) जिस निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार में यह ट्रस्ट/संस्थान का केस आता है, उसके कार्यालय में आय एवं व्यय खाता, प्राप्त रसीद एवं भुगतान का विवरण तथा तुलनपत्र (बैलेंस सीट) सहित आई.टी.आर.-7 में आयकर विवरणी प्रत्येक वर्ष दाखिल की जानी होगी।

(ii) आधोहस्ताक्षरी आयकर आयुक्त(छूट), लखनऊ के पूर्व अनुमोदन के बिना ट्रस्ट डीड/प्रलेख (Memorandum of Association) में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(iii) दानदाता को जारी की गई प्रत्येक रसीद में विशिष्ट पंजीकरण संख्या (यू.आर.एन.) एवं आदेश की तिथि अवश्य अंकित की जानी होगी।

धारा 80G (V)(vi) के प्रावधानों के अन्तर्गत 12ए, धारा 12ए(1)(बी) में पंजीकृत अथवा धारा 10(23C), 10(23C)(via) के अन्तर्गत अनुमोदित संस्थान/फंड, संसदीय में चलाई जा रही किसी भी व्यापारिक गतिविधि से संबंधित खाता बही का अलग से रख-रखाव करेंगे तथा ऐसी गतिविधि को आरंभ करने से संबंधित सूचना इस कार्यालय को एक माह भीतर अवश्य की जाएगी।



हो
(पी०के० बजाज)
आयकर आयुक्त (छूट),
लखनऊ।

फा०सं०: आ०आ०(छूट)/लख०/८०जी/२०१५-१६/६९३

दिनांक:- २४.०८.२०१५

प्रतिलिपि प्रेषित:-

१. आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त (छूट), रेंज लखनऊ।
२. आयकर उप/सहायक आयुक्त (छूट), सर्किल लखनऊ।
३. आयकर अधिकारी(छूट), लखनऊ।
- ✓ ४. आवेदक।

विनय श्रीवास्तव
(विनय श्रीवास्तव)
आयकर अधिकारी(मु०)
कार्यालय आयकर आयुक्त(छूट),
लखनऊ।

